10.1.19 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया तो दिनांक 4.7.18 को नायब तहसीलदार की पालना में नाड़ी द्वारा आदेश की गई कार्यवाही पूर्ण नहीं किये है। इससे प्रतीत है कि नाड़ी अपने कार्य को चलाना नहीं चाहता है अतः नाड़ी का वर्ष 03A-5 में खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर इसे नम्बर से खत्म हो। आदेश सुनाये न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner